



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900
E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/)

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/15847-1589 दिनांक :- 13/06/2026

प्रेषक :-

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषित:

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति,
समस्त राजस्थान।

विषय:- अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(137)/2025/रालसा/ पै.अधि./DS-I/13661
13662 दिनांक 27.05.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 15.06.2026 निर्धारित की गई थी, को निर्देशानुसार दिनांक 10.07.2026 को सायं 5:00 तक के लिए एवं जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम दिनांक 18.07.2026 तक बढ़ाई जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक के पश्चात अंतिम तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जावेगी।

चयनित पैनल अधिवक्तागण के नाम की सूची, उनके समस्त दस्तावेज एवं निर्णयों/आदेशों की प्रतियां सहित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

नवीन पैनल तैयार करते समय अधिवक्ता की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता एवं अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाये।

आज्ञा से

(हरि ओम अन्नी)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

(जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली)

(फोन नं. 07464-294026, फैक्स नं. 07464-250888, ईमेल-dlsa25karauli@gmail.com)

क्रमांक::डालसा / 2026 / 2824

दिनांक:: 15.06.2026

प्रतिलिपि :- माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

- 01-श्रीमान अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, हिण्डौनसिटी / श्रीमहावीरजी / टोडाभीम / न्यायिक मजिस्ट्रेट सपोटरा / न्यायिक मजिस्ट्रेट नादौती।
- 02- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, करौली / सपोटरा / हिण्डौन / श्रीमहावीरजी / नादौती / टोडाभीम।
- 03- श्रीमान जिला कलक्टर, करौली।
- 04- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय करौली को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

भवदीय

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
करौली